अपर उपायुक्त, सरायकेला - खरसावॉं का न्यायालय, सरायकेला ।

एस0ए0आर0 अपील वाद सं0-01/2015-16

08/10/17

भीम मांझी उर्फ भीमसेन टुडू एवं अन्य

वनाम

वाया हो एवं अन्य

यह अपील भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सरायकेला के न्यायालय द्वारा एस0ए0आर0 वाद सं0- 04/2012-13 में दिनांक-29.09.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध (1) भीम माझी उर्फ भीमसेन टुड (2) दुर्गा चरण टुडू दोनों के पिता स्व0 चमरू टुडू ग्राम- सुरसी थाना राजनगर (3) उमेश महतो पिता स्व0 मकरू महतो (4) महानन्द महतो पति स्व0 अखय महतो (5) सोनामुनी महतो पति स्व0 छोटू महतो , ग्राम - चांगुवा, थाना- राजनगर के द्वारा अपील वाद दायर किया गया है। इस वाद के प्रतिवादी बाया हो, पिता स्व0 काटे हो, ग्राम- राजनगर थाना- राजनगर जिला- सरायकेला - खरसावॉं है। प्रश्नगत भूखण्ड का विवरणी निम्न प्रकार है -

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
चांगुवा	148	100	372, 382	1.59 2.83 4.42 एकड़

प्रश्नगत वाद में वादी लंबे समय से अनुपस्थित हैं इसलिए अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहसनामा के आधार पर अभिलेख आदेशार्थ रखा गया ।

पूर्व में दायर अपील वाद के समय वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहसनामा में निम्नलिखित विन्दु पर प़क्ष रखा गया है -

1. वादी का प्रश्नगत भूखण्ड पर 40 वर्ष पूर्व से दखल कब्जा है एवं इनके द्वारा इस भूखण्ड पर कृषि का कार्य किया जाता है जिसपर निम्न न्यायालय ने बिना समीक्षा किये ही आदेश पारित किये है। वादी का प्रश्नगत भूखण्ड छोड़कर अंचल राजनगर में रहने के लिए कोई भूखण्ड नहीं है। इसलिए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नहीं है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्न विन्दुओं पर प़क्ष रखा गया है -

1. मौजा चांगुवा , थाना सं0-148 खाता सं0-100 अंतर्गत भूमि , हाल सर्वे खातियान में अनावाद राज्य सरकार के खाते की भूमि है जो प्रतिवादी बाया हो को बंदोवस्ती वाद सं0-666/1970-71 द्वारा बंदोवस्ती प्राप्त है जिसपर वादीगण द्वारा जबरदस्ती दखल कब्जा किया गया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित रूप से आवेदन देकर सूचित किये हैं कि अंचल अधिकारी राजनगर द्वारा दिनांक 24.05.2016 को प्रतिवादी को प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल दिला दी गई है इसलिए अपील वाद को निरस्त किया जाय।

उपरोक्त विन्दुओं एवं एस0ए0आर0 वाद सं0-04/12-13 के अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा सभी विन्दुओं पर समीक्षा उपरांत आदेश पारित किया गया है इसलिए एस0ए0आर0 वाद सं0-04/12-13में पारित आदेश को यथावत रखा जाता है एवं अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है । विभिन्न कार्यों में व्यस्तता के कारण आज दिनांक .22/08/2017...... को आदेश पारित किया गया है।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित

(हस्ताक्षर) 22/8/17

अपर उपायुक्त,
सरायकेला - खरसावॉं।

(हस्ताक्षर) 22/8/17

अपर उपायुक्त,
सरायकेला - खरसावॉं।